व्यापार मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार उत्तर प्रदेश हथकरघा बुनकरों की दशा सुधारने के लिए उत्सुक है और वह यह मालूम करने का प्रयत्न करेगी कि उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बुनकरों को धागे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अप्रैल 1972 में तदर्थ आधार पर स्टेपल रेशा धागे की 9000 गांठें दी गई थी। साउथ इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा लिए जाने वाली दरों पर धागे की नियमित मासिक सप्लाई की व्यवस्था की गई है। साउथ इंडिया मिल एसोसिएशन इस बात के लिए भी सहमत हो गई है कि वह अपनी सदस्य मिलों के 60 एस और उससे ऊपर के काउंट के सूत के उत्पादन का 33-1/3% आरक्षित करेगी ताकि उसे वास्तविक उपभोक्ताओं को जिनमें बुनकरों की सहकारी समितियां और एसोसिएशन शामिल हैं, वस्त्र आयुक्त द्वारा विनियमित किए जाने वाली दरों पर आबंटित किया जा सके और यह सप्लाई मई, 1972 के महीने में मिल पर की दरों पर की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में कच्चे माल, रंजकों और रासायनिक पदार्थों की पूर्ति, विपणन, संस्थागत वित्त व्यवस्था और माल साधित करने की सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित समस्याओं को संभालने के लिए राज्य में एक हथकरघा निगम स्थापित करने के लिए अब सहमत हो गई है।

राज्य में हथकरघा बुनकरों को अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में एक और बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

Bench of Supreme Court in South

262. SHRI M. KATHAMUTHU: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether there has been a demand for the opening of a Bench of the Supreme Court at a convenient place in the South; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Proposal to discountinue Power Supply to West Bengal by D.V.C.

263. SHRI RATTANLAL BRAHMAN: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether the Damodar valley Corporation propose to discontinue power supply to Calcutta and other parts in West Bengal; and

(b) if so, the reasons thereror ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISRTY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL): (a) No, Sir. The Damodar Valley Corporation have no proposal at present to discontinue power supply to Calcutta or other parts of West Bengal.

(b) Does not arise.

रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के अजमेर रतलाम सेक्शन पर गाड़ियों में कंडक्टर तैनात करना

264. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राड गेज की भांति मीटर गेज पर चलने वाली एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों में भी प्रथम श्रेणी के डिब्बों में कंडक्टरों की व्यवस्था की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन के अजमेर-रतलाम सैक्शन पर यह व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) बड़ी और मीटर लाइन पर लम्बी दूरी की कुछ महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों पर कंडक्टरों की व्यवस्था है।

(ख) अजमेर-रतलाम खण्ड की गाडियों पर कंडक्टरों की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

रतलाम और कोटा डिवीजनों (पश्चिम रेलवे) में कंडक्टर

265. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम और कोटा डिवीजनों के कंडक्टरो के पदों सम्बन्धी विवाद विचाराधीन हैं;

(ख) क्या इसके कारण रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के लगभग 30 कंडक्टरों की पदोन्नति रुकी हुई है; और

(ग) यदि हा, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विभिन्न मण्डलों में कंडक्टरो के पदो के वितरण से सम्बन्धित आदेशो को कुछ कर्मचारियों ने न्यायालय मे चुनौती दी है और न्यायालय ने अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी है। निषेधाज्ञा के उठा लिए जाने तक पहले से चालू व्यवस्था जारी रखी जा रही है।

नर्मदा जल विवाद

266. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्री प्रभु दास पटेल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद पर विचार करने के लिए गत जून में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकारियो की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हा, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील): (क) और (ख) गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक बैठक 20 और 21 जून, 1972 को हुई थी।

इसके पश्चात् 18 से 22 जुलाई, 1972 तक सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियो/मंत्रियो के साथ विचार-विमर्श किया। मुख्य मंत्रियों ने कहा कि यद्यपि नर्वदा देश की सर्वोत्तम नदियो मे से एक है और इसकी विपुल क्षमता है, इसका अभी तक विकास नही किया गया है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि दशाब्दी मे इसके विकास को प्राथमिकता प्रदान की जाए। मुख्य मंत्रियों ने महसूस किया कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों मे नर्मदा के विकास में और अधिक देर नही करनी चाहिए और इसलिए वे इस नदी से संबंधित विवादो को आपसी समझौते द्वारा और प्रधान मत्री की सहायता से तय करने के लिए सहमत हो गए।

वर्षों के 75 प्रतिशत के लिए नर्मदा में उपलब्ध जल की मात्रा लगभग 28 मिलियन एकड़ फुट आंकी गयी है। महाराष्ट्र और राजस्थान की उनके अपने क्षेत्रों में उपयोग के लिए जल आवश्यकता क्रमशः 0 25 और 0.5 मिलियन एकड़ फुट है, ये आवश्यकताएं बिना नहर के स्तर का ख्याल किए आंकी गई है।